

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न है।”


(के०सी०बाजपेयी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।